छत्तीसगढ़ सूचना आयोग
निर्मल छाया भवन, मीरा दातार रोड़
शंकर नगर, रायपुर

शिकायत प्रकरण क्रमांक 727/2008

1. श्री यमुना प्रसाद एवं अन्य, – *शिकायतकर्ता*
ग्राम–लक्ष्मीपुर, पोस्ट–किसनपुर,
विकासखण्ड–पिथौरा, जिला–महासमुंद (छत्तीसगढ़)

विरूद्ध

1. *जन सूचना अधिकारी/सचिव,* – *अनावेदक*
ग्राम पंचायत–अठारहगुड़ी,
विकासखण्ड–पिथौरा जिला–महासमुंद (छत्तीसगढ़)

//आदेश//
(दिनांक 11 जून, 2009)

प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि शिकायतकर्ता सर्वश्री यमुना प्रसाद एवं मोहन पटेल द्वारा जानकारी प्राप्त करने के लिए जन सूचना अधिकारी/सचिव, ग्राम पंचायत–अठारहगुड़ी, जनपद पंचायत–पिथौरा जिला–महासमुंद के समक्ष दिनांक 09.10.2007 आवेदन प्रस्तुत किया था। उक्त आवेदन पर उन्हें समयावधि में जानकारी नहीं मिलने के कारण उनके द्वारा प्रथम अपीलीय अधिकारी के समक्ष प्रथम अपील प्रस्तुत की गई, उक्त अपील पर निर्देश दिये जाने के बाद भी जानकारी नहीं मिलने के कारण उससे असंतुष्ट होकर उनके द्वारा आयोग के समक्ष दिनांक 04.09. 2008 को यह शिकायत प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण से संबंधित रिकार्ड का अवलोकन किया गया और उभय पक्ष की सुनवाई की गई । प्रकरण में सचिव ने पत्र लिखकर पूर्व सचिव को पूरा प्रभार देने कहा है एवं उपस्थिति हेतु भी नोटिस दिया था, अतः विलंब के लिए दोनों सचिवों को दस–दस हजार रूपये प्रत्येक पर शास्ति का कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया और साथ ही मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत को निर्देश दिये गये कि पूर्ण प्रभार दिलवाया जाना सुनिश्चित करें, किन्तु अभी–तक मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत द्वारा आयोग के निर्देश के बाद भी पूर्ण प्रभार नहीं दिलवाया गया है, जिसके कारण अभी–तक जानकारी नहीं दी जा सकी है। अतः यह प्रकरण मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, महासमुंद के ध्यान में लाया जाता है और उन्हें निर्देश दिये जाते हैं कि मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, पिथौरा से स्पष्टीकरण प्राप्त करें कि उन्होंने आयोग के निर्देशों का पालन क्यों नहीं किया और आयोग को प्रतिवेदन क्यों नहीं भेजा। वर्तमान सचिव श्री कामता प्रसाद साहू द्वारा प्रस्तुत कारण बताओ सूचना पत्र के उत्तर में कहा गया कि उन्हें पूर्ण प्रभार नहीं दिया गया और पूर्व सचिव के पास ही उनके कार्यकाल के समस्त रिकार्ड है, अतः वर्तमान सचिव श्री कामता प्रसाद साहू को दोष मुक्त किया जाता है और उनके विरूद्ध जारी कारण बताओ सूचना पत्र निरस्त किया जाता है। पूर्व सचिव श्री ललीत कुमार साहू द्वारा प्रस्तुत कारण बताओ सूचना पत्र के उत्तर में बताया गया कि श्री यमुना प्रसाद द्वारा प्रस्तुत आवेदन में उनकी स्वयं की रूचि नहीं है और उनके द्वारा माध्यम बनाकर लक्ष्मीपुर के पंच श्री मोहन पटेल स्वार्थ सिद्ध करना चाहते हैं और वे निरीक्षण हेतु बुलाने पर भी नहीं आये तथा उनका अनुरोध है कि आवेदक यमुना प्रसाद को ही अवलोकन जनपद पंचायत कार्यालय में कराया जावे। उन्होंने अपने उत्तर में यह तर्क गलत दिया है कि मोहन पटेल आवेदक नहीं है, जबकि मूल आवेदन में मोहन पटेल के हस्ताक्षर है और विलंब के लिए उन्होंने कोई संतोषप्रद कारण नहीं दिया तथा प्रभार

Document Produced by deskPDF Unregistered :: http://www.docudesk.com

देने के बारे में कोई संतोषप्रद कारण नहीं बताया है, जबकि नियमानुसार उन्हें स्थानांतरण होते ही पूर्ण प्रभार नये सचिव को देना चाहिए था। अतः उन्हें विलंब के लिए दोषी पाया जाता है और समस्त परिस्थितियों पर पूर्ण विचारोपरांत अधिनियम की धारा–20(1) के अन्तर्गत श्री ललीत कुमार साहू, पूर्व सचिव, ग्राम पंचायत– अठारहगुड़ी, जनपद पंचायत–पिथौरा जिला–महासमुंद पर पॉच हजार रूपये की शास्ति आरोपित की जाती है। साथ ही अधिनियम की धारा–20(2) के अन्तर्गत श्री ललीत कुमार साहू के विरूद्ध विभागीय अनुशासनात्मक कार्यवाही करने के लिए मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत–महासमुंद को अनुशंसा की जाती है। प्रकरण में अब यह निर्देश दिये जाते हैं कि दोनों सचिवों की उपस्थिति में आवेदकगण श्री यमुना प्रसाद एवं श्री मोहन पटेल को मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, पिथौरा के कार्यालय में बुलाया जाकर 15 दिवस के अन्दर चाही गई जानकारी से संबंधित समस्त रिकार्ड का निःशुल्क अवलोकन कराया जावे और उनके सूची प्राप्त कर राशि 100/– रूपये तक की जानकारी उन्हें निःशुल्क दी जावे और यदि अधिक की चाहते है तो नियमानुसार शुल्क जमा कराकर 20 दिवस के अन्दर प्रदान की जावे।

3/ उपरोक्त निर्देश के साथ उक्त शिकायत प्रकरण का निराकरण किया जाता है।

(ए0के0 विजयवर्गीय)
राज्य मुख्य सूचना आयुक्त

Document Produced by deskPDF Unregistered :: http://www.docudesk.com